संख्या- 04 / 2018/283/38-3-2018-6/2018

प्रेषक,
डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तरप्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः26 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-2018 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-152/बजट/पुनर्विनियोग/2017-18, दिनांक 08 फरवरी, 2018 तथा पत्रांक जी0ओ0-67/बजट/2017-18 दिनांक 16 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के 01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग से अनुदान संख्या-13 के अंतर्गतलेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102 सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद-09 विद्युत देय, 17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102 सामुदायिक विकास-06 संग्रहीत जिला कार्यालय के मानक मद-09 विद्युत देय, 10 जलकर/जलप्रभार, 17-किराया, उप शुल्क एवं कर स्वामित्व, 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय तथा लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04 विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के मानक मद 09-विद्युत देय में संलग्न पुनर्विनियोजन के अनुसार (बी0एम0-9 प्रपत्र) कुल धनराशि रू0 28,23,04,000/- (रू0 अट्ठाइस करोड़ तेइस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्रदान करने के बाद ही किया जाये।

(2) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष मे नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जाए।

2. इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अंतर्गतलेखा शीर्षक-2515 के अंतर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्तविभाग के शासनादेश संख्या-01/2016/बी0-1-746/दस- 2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय
डा0 हरिश्चन्द्र
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 04/ 2018/ 283(1)/38-3-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहरभवन, लखनऊ।
6. गार्डफाईलहेतु।

आज्ञा से,
राम केशर यादव
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

i|ufo'fu;kx d fy, vkonu@Lohdfr

¼lUnHkZ ctV euqvy dk iLrj&158½

foRrh; o"k 2017&18

iii= ch0,e0 9¼Hkkx&1½

¼/kujkf'k yk[k :i;s e½

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor ldse.k				foRr foHkkx nokjk Hkjk tk;xk	
y[kk 'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½@	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k vunku @fofu;kx	vkonu&i= nu d fnukd ij miyC/k cpr	ldfer dh tku okyh /kujkf'k	foRr foHkkx nokjk ldse.k gr vuekfnr /kujkf'k	lØe.k d i'pkr 'k"k vunku @fofu;kx ¼2&5½
1	2	3	4	5	6
vunku l[;k&13 d vUrxr y[kk'kh"kd &2515&vU; xkE; fodkl dk;de&102&lkenkf;d fodkl & 03&e[; vf/k"Bku¼ykd ctV½&01&oru	63923.55	2829.04	2829.04	2823.04	61100.51
;kx%&	63923.55	2829.04	2829.04	2823.04	61100.51

fuEufyf[kr fuf/k;k e iLrkfor ldse.k				foRr foHkkx nokjk Hkjk tk;xk	
y[kk 'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½@	foRrh; o"k d fy, miyC/k vunku@ fofu;kx	foRrh; o"k e iR;kf'kr dy 0;;	ldse.k gr iLrkfor /kujkf'k ¼9&8½	foRr foHkkx nokjk vuekfnr ldse.k dh /kujkf'k	ldse.k d i'pkr miyC/k vunku@ fofu;kx ¼8$11½
7	8	9	10	11	12
vunku l[;k&13 d vUrxr y[kk'kh"kd &2515&vU; xke fodkl dk;de&102&lkenkf;d fodkl&03&e[; vf/k"Bku¼ykd ctV½&09&fon;r n;	1000.00	2628.93	1628.93	1628.93	2628.93
vunku l[;k&13 d vUrxr y[kk'kh"kd &2515&vU; xke fodkl dk;de&102&lkenkf;d fodkl&06&lxghr ftyk dk;ky;& 09&fon;r n;	500.00	929.22	429.22	429.22	929.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vuqnku la[;k&13 ds vUrxZr ys[kk'kh"kZd &2515&vU; xzke fodkl dk;ZØe&001&funs'ku rFkk iz'kklu& 04&fodkl vk;qDr ds {ks=h; dk;kZy;& 09&fon~;qr ns;	15.00	17.43	2.43	2.43	17.43
vuqnku la[;k&13 ds vUrxZr ys[kk'kh"kZd &2515&vU; xzke fodkl dk;ZØe&102&lkeqnkf;d fodkl&06&laxghr ftyk dk;kZy;& 10&tydj@ty izHkkj	150.00	273.32	123.32	123.32	273.32
vuqnku la[;k&13 ds vUrxZr ys[kk'kh"kZd &2515&vU; xzke fodkl dk;ZØe&102&lkeqnkf;d fodkl&03&eq[; vf/k"Bku¼cykd ctV½&17&fdjk;k]mi'kqYd ,oa dj LokfeRo	20.00	298.72	278.72	278.72	298.72
vuqnku la[;k&13 ds vUrxZr ys[kk'kh"kZd &2515&vU; xzke fodkl dk;ZØe&102&lkeqnkf;d fodkl&06&laxghr ftyk dk;kZy;& 17&fdjk;k]mi'kqYd ,oa dj LokfeRo	120.00	460.42	340.42	340.42	460.42
vuqnku la[;k&13 ds vUrxZr ys[kk'kh"kZd &2515&vU; xzke fodkl dk;ZØe&102&lkeqnkf;d fodkl&06&laxghr ftyk dk;kZy;& 05&LFkkukUrj.k ;k=k O;;	7.50	33.50	26.00	20.00	27.50
;ksx%&	**1812.50**	**4641.54**	**2829.04**	2823.04	4635.54

& 1& 01&osru en ds vUrxZr /kujkf'k :0 2829-04 yk[k dh orZeku foRrh; o"kZ esa vko';drk u gksus ds dkj.k cpr gSA

2& 03&eq[; vf/k"Bku o 06&laxghr ftyk dk;kZy; ,oa 04&fodkl vk;qDr ds {ks=h; dk;kZy; ds vUrxZr 09&fon~;qr ns; en esa i;kZIr ctV O;oLFkk miyC/k u gksus ds dkj.k yfEcr fcyksa ds Hkqxrku gsrq Øe'k% :0 1628-93 yk[k o :0 429-22 yk[k ,oa :0 2-43 yk[k dh vifjgk;Z vko';drk gSA

3& blh izdkj 10&tydj@tyizHkkj en esa 06&laxghr ftyk dk;kZy; esa :0 123-32yk[k ds vfrfjDr ctV dh vko';drk gSA

4& blh izdkj 17&fdjk;k ,oa mi'kqYd en esa 03&eq[; vf/k"Bku esa :0 278-72 yk[k o 06&laxghr ftyk dk;kZy; ds vUrxZr :0 340-42yk[k ds vfrfjDr ctV dh vko';drk gSA

5& blh izdkj 05&LFkkukUrj.k ;k=k O;; ek= :0 7-50 yk[k dk ctV izkIr gqvk] ftlds lkis{k :0 33-50 yk[k dh ekax izkIr gqbZ]miyC/k /kujkf'k ds fuxZeu ds mijkUr :0 26-00 yk[k ds LFkkukUrj.k ;k=k O;; dh ekax yfEcr gksus ds dkj.k vfrfjDr /kujkf'k dh vko';drk gSA

6& izekf.kr fd;k tkrk gS fd mi;qZDr iqufoZfu;ksx esa mRrj izns'k ctV eSuqvy ds izLrj&150] 151] 154 o 155 fufnZ"V izfrcU/kksa@ifjlhekvksa dk mYya?ku ugha gksrk gSA

dk

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

la[;k&vkj0bZ0 639@bZ&2&362-@nl&2018-   fnukad 25 ekpZ] 2018

lsok esa]
egkys[kkdkj ¼ys[kk ,oa gdnkjh½ izFke]
m0iz0] bykgkcknA

Mk0 gfj'pUnz
fo'ks"k dk;kZf/kdkjh]
xzkE; fodkl foHkkx]
m0iz0 'kkluA

;kxsUnz nRr f=ikBh
la;qDr lfpo]
foRr foHkkx]
m0iz0 'kkluA

la[;k& 04@2018@283@38&3&2018] rn~fnukad

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr%&

1- vk;qDr] xzkE; fodkl] mRrj izns'k] y[kuÅA
2- foRr ¼O;;&fu;=.k½ vuqHkkx&2 mRrj izns'k 'kkluA
3- foRr ¼vk;&O;;d½ vuqHkkx&1 mRrj izns'k 'kklu ¼rhu ewy izfr lfgr½A
4- eq[; dks"kkf/kdkjh] tokgj Hkou] y[kuÅ@ofj"B dks"kkf/kdkjh] lEcfU/kr tuin mRrj izns'kA
5- xkMZ cqdA

vkKk ls]
jke ds'kj ;kno
vuqlfpo

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।